प्रेषक:–

पुष्कर उपाध्याय,
अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, आगरा।

सेवामें,

विशेष कार्याधिकारी, कम्प्यूटर,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा :–

जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

विषय : जनपद न्यायालय परिसर आगरा स्थित विभिन्न शेष दुकानों/**व्यावसायिक प्रतिष्ठानों** को वित्तीय वर्ष 2026–27 की शेष अवधि हेतु (दिनांक 31.03.2027 तक) के लिये निविदा के द्वारा नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ससम्मान निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक **7591/प्रशासन, (बी–प्रथम) अनुभाग, इलाहाबाद : दिनांक 02 जून 2026** के अनुपालन में न्यायिक अधिष्ठान आगरा में स्थित दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों 1–चाय नमकीन मिष्ठान (पुरानी कैन्टीन), 2–फोटोस्टेट गेट न–4, व 03–फोटो स्टेट गेट न–04 व 05 के मध्य, को वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु (दिनांक 31.03.2027 तक) के लिये नीलामी किये जाने के लिये सर्कुलर लैटर नम्बर 797 /एडमिन बी–प्रथम दिनांकित 15.03.1994 के प्रकाश में सील बन्द निविदा आंमत्रित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जानी है।

उक्त समस्त दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नीलामी हेतु समिति द्वारा दिनांक 01.07.2026 नियत की गयी है। उक्त सभी दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नीलाम किये जाने एंव सील बन्द निविदा आंमत्रित किये जाने हेतु कम से कम 02 समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ एंव जिला सूचना अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जनपद आगरा के प्रमुख राजकीय कार्यालयों 1–नोटिस बोर्ड, नजारत, जजी, आगरा ,2–नोटिस बोर्ड, कलैक्ट्रेट, आगरा ,3–नोटिस बोर्ड, कमिश्नरी, आगरा ,4–नोटिस बोर्ड, ए.डी.ए., आगरा , 5–नोटिस बोर्ड, नगर–निगम, आगरा ,6–नोटिस बोर्ड, पी0डब्लू0डी0, आगरा, 7– नोटिस बोर्ड, जनसूचना सम्पर्क अधिकारी आगरा, 8–नोटिस बोर्ड, नजारत, तहसील सदर आगरा के नोटिस बोर्ड पर दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नीलामी की सूचना चस्पा करायी जायेगी तथा मुख्य कम्प्यूटर लिपिक/सहायक सिस्टम आफीसर को निर्देशित किया जा चुका है कि वह उक्त दुकानों/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूचना जनपद न्यायालय आगरा की आफिसियल बेवसाइट www.ecourts.gov.in/agra पर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

उक्त ठेका नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेवसाईट पर प्रचारित व प्रसारित करायी जानी है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त शेष समस्त ठेकों को वित्तीय वर्ष 2026–27 के शेष अवधि हेतु (दिनांक 31.03.2027 तक) के लिये उठाये जाने के लिये संलग्न सूचना को माननीय उच्च न्यायालय की आफिसियल बेवसाइट पर प्रचारित व प्रसारित कराये जाने हेतु संबधित को निर्देशित किये जाने की कृपा करें।

सादर,

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
Pushkar Upadhyay 11/6/2026
(पुष्कर उपाध्याय)
अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, आगरा।

4973 / XV
पत्रांक सं............दिनांक 12/6/26
अग्रसारित
जिला जज, आगरा
12/06/26

कार्यालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश, आगरा
"नजारत अनुभाग"
सूचना दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान की नीलामी हेतु

जिला न्यायालय, आगरा परिसर में 1–चाय नमकीन मिष्ठान (पुरानी कैन्टीन), 2–फोटोस्टेट गेट न–4, व 03–फोटो स्टेट गेट न–04 व 05 के मध्य दुकना/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय वर्ष 2026–27 के शेष अवधि हेतु (दिनांक 31.03.2027 तक) के लिये उठाये जाने हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 01.07.2026 समय दोपहर 12.00 बजे तक नजारत कार्यालय पर आंमत्रित की जाती है। जिन्हें उसी दिन अपरान्ह 01.30 बजे समिति के समक्ष खोला जायेगा। दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विवरण एवं शर्ते नजारत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में ज्ञात की जा सकतीं हैं।

(पुष्कर उपाध्याय) 11/06/026

अध्यक्ष नीलाम समिति/

अपर जिला एंत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या–01, आगरा।